राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 508/2011

कंथी कुमार अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, निवासी 76-ए, कस्तूरबा नगर, मीरा मार्ग, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर (राजस्थान) (मृत्यु) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से:-

1/1 सुशीला अग्रवाल, पत्नी स्वर्गीय श्री कंठी कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी 76-ए, कस्तूरबा नगर, मीरा मार्ग, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर (राजस्थान)

1/2 अंकित अग्रवाल, पुत्र स्वर्गीय श्री कंठी कुमार अग्रवाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 76-ए, कस्तूरबा नगर, मीरा मार्ग, निर्माण नगर, अजमेर रोड, जयपुर (राजस्थान)।

1/3 नेहा जैन, पुत्री स्वर्गीय श्री कांथी कुमार अग्रवाल, पत्नी श्री अनुज जैन, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 121-ए, महेश कॉलोनी, जेपी अंडरपास के पास, टोंक फाटक, जयपुर (राजस्थान)।

1/4 अदिति अग्रवाल, पुत्री स्वर्गीय श्री कांथी कुमार अग्रवाल, पत्नी श्री अंकित जैन, आयु लगभग 34 वर्ष, निवासी 906, गोपालन लेक फ्रंट, वीर सैंड्रा, बेंगलुरु।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, खान विभाग के सचिव, शास्त्री के माध्यम से भवन, नई दिल्ली
2. राजस्थान राज्य, सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर
4. खनन अभियंता, सीकर ।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (ओं) के लिए : श्री अश्वनी कुमार चौबीसा, सलाहकार।
प्रतिवादी (ओं) के लिए : श्री राहुल लोढ़ा, अतिरिक्त सरकारी वकील।

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

17/09/2024

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/60/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को अपराह्न 03:40:03 बजे डाउनलोड किया गया)

1. यह याचिका दिनांक 01.09.2005 और 09.09.2010 के आदेशों से व्यथित होकर दायर की गई है, जिनमें क्रमशः खनन पट्टा प्रदान करने के आवेदन और संशोधन को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि 16.11.2004 को याचिकाकर्ता (अब अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं) ने ग्राम संदला, तहसील नीमच में पांच हेक्टेयर भूमि में खनन अधिकार के लिए आवेदन दायर किया था। का थाना, जिला सीकर। दिनांक 07.12.2004 के नोटिस में बताई गई कमियों को दूर न करने पर, दिनांक 01.09.2005 के आदेश द्वारा आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 09.09.2010 को पुनरीक्षण खारिज होने पर, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 07.12.2004 का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था। तर्क यह है कि खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे आगे '1960 के नियम' कहा जाएगा) के नियम 26 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए कोई अलग से नोटिस जारी नहीं किया गया।

4. प्रतिवाद के अनुसार, याचिकाकर्ता दिनांक 07.12.2004 के नोटिस का पालन करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता ने नोटिस प्राप्त कर लिया था और कमियों को दूर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।

5. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि दिनांक 07.12.2004 का नोटिस तामील नहीं हुआ था, पूरी तरह से गलत साबित हुआ क्योंकि नोटिस के अनुसरण में दायर आवेदन, जिसमें कमियों को दूर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी, प्रतिवादी द्वारा पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

6. दिनांक 07.12.2004 के नोटिस के अवलोकन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को न केवल कमियों को दूर करने का अवसर दिया गया था, बल्कि कमियों को दूर न करने या यदि त्रुटियों को पहले ही दूर कर दिया गया था, तो सुनवाई का अवसर भी दिया गया था।

7. विचारणीय एक अन्य पहलू यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी या इस न्यायालय के समक्ष भी याचिकाकर्ता का यह पक्ष नहीं है कि कमियाँ अब भी दूर कर दी गई हैं। ऐसी परिस्थितियों

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/60/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को अपराह्न 03:40:03 बजे डाउनलोड किया गया)

में, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए अलग से नोटिस जारी करने का मुद्दा बेतुका हो गया है।

8. इस तथ्यात्मक तर्क को कि याचिकाकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया था, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया। इस बात का कोई मामला स्थापित न होने पर कि नोटिस का अनुपालन हुआ है या सुनवाई का अवसर प्रदान करने और कमियों को दूर करने के लिए एक ही नोटिस देने से पक्षपात हुआ है, मामले को पुनः भेजने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश झिंगन**),** जे

एचएस/82

रिपोर्ट योग्य:- हाँ

अस्वीकरण**:** इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है**,** एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/60/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)
(29/05/2025 को अपराह्न 03:40:03 बजे डाउनलोड किया गया)